

02.07.2024:-पत्रावली पेशी हुई। प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी व प्रतिवादी का लोक अदालत की भावना से प्रेरित होकर राजीनाम हो गया है। मुताबिक राजीनामा वादी उक्त वाद पत्र इसी प्रकम पर जरिये विद्वान खारिज करवाना चाहता है। वादी अधिवक्ता को उक्त प्रार्थना पत्र पर सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर जाकर प्रार्थी के फर्द अहकाम पर हस्ताक्षर करवाये गये। प्रार्थी की पहचान प्रार्थी अधिवक्ता श्री विपिन कुमार स्वामी द्वारा करवाई गई। उक्त प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मौजूदा सूरत में विद्वा किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरबीज तकमील दाखिल दफतर हो।



Wang